न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी हंसमुख कुमार ,आर.ए.एस

रा.प्रा.पत्र संख्या 32/2020

प्रार्थी
नवीया पुत्र सवाजी जाति रेबारी निवासी
मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :-
1-प्रार्थी की ओर से वकील श्री पदमाराम चौहान
2-अप्रार्थी स्टेट तह.सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (तहसीलदार सिरोही)

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

आदेश

दिनांक 28-10-2020

प्रार्थी ने जरिये वकील ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 17-2-2020 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त हक अधिकार की कृषि आराजी मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही मे आई हुई है जिसका बंदोवस्त के पूर्व पुराना खसरा नंबर 118 रकबा 11 बीघा 12 विस्वा व खसरा संख्या 545 रकबा 14 बीघा 16 विस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 36 बीघा 8 विस्वा है जो बंदोवस्त के पश्चात नया खसरा नंबर 150 रकबा 0.9200 हैक्टेयर व खसरा नंबर 710 रकबा 2.3600 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 3.2800 हैक्टेयर हुआ है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान की कृषि भूमि पूर्व मे प्रार्थी के पिता सवाजी की दिनांक 7-10-1975 से पूर्व मृत्यु हो गई है जो उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण सवा पुत्र जेता के उतराधिकारियों के नाम से दिनांक 7-10-1975 मे दर्ज किया गया है जिसका नामान्तकरण संख्या 918 है।प्रार्थी के पिता सवा पुत्र जेतातजी की मृत्यु होने के पश्चात सवाजी के वारिसान मे तीन पुत्र नवीया ,भला ,वागा पुत्र सवा है जो उनका उक्त कृषि भूमि मे नामान्तकरण दायर कर बतौर खातेदार हुये है। उक्त कृषि भूमि मे प्रार्थी के भाईयों का नामान्तकरण दायर करते समय पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम सवा की कजगह सबला गलत एवं त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है जो उक्त शुद्विकरण किया जाना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाकर मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही के नया खसरा नंबर 150 ,710 मे प्रार्थी के खातेदारी जमाबंदी रेकर्ड मे गलत नाम नवीया ,भला ,वागा पुत्र सबला रेबारी के स्थान पर नवीया ,भला ,वागा पुत्र सवाजी रेबारी सा.देह खातेदार के नाम से दर्ज/शुद्विकरण करवाने का आदेश प्रदान करना फरमावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व संलग्न वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-2073 खाता संख्या 553 मिलान क्षैत्रफल व कृषि पासबुक के अवलोकन के उपरान्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ आश्वस्त होने से दिनांक17-2-2020 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस दिनांक 17-8-2020 को न्यायालय मे प्राप्त होने से शा.मि. किया गया ।

दिनांक 28-10-2020 को न्यायालय मे दौराने सुनवाई अप्रार्थी स्टेट की ओर से पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा ने मार्फत तहसीलदार सिरोही के जवाब पेश कर कथन किया कि मौजा मेरमाण्डवाडा के वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 553 के अनुसार खसरा नबर 150 रकबा 0.92 हैक्टेयर ,खसरा संख्या 710 रकबा 2.36 हैक्टेयर भूमि नवीया पुत्र सबला 1/3 ,भला पुत्र सबला 1/3 ,वागा पुत्र सबला 1/3 जाति रेबारी सा.देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि के वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबंदी के खाता नंबर 553 के अनुसार खसरा नंबर 150 रकबा 0.92 हैक्टेयर व खसरा नंबर 710 रकबा 2.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 03.28 हैक्टेयर हुआ है। खसरा नंबर 150 का पुराना नंबर 1118 है तथा नया खसरा नंबर 710 का पुराना खसरा नंबर 545 मी. है जो सही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:57 IST
Reason: SelfAttested

इस न्यायालय मे आज दिनांक 28-10-2020 को विचाराधीन प्रार्थनापत्र पर वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई।

हमने विचारण प्रकरण मे प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्तमान जमाबंदी संवत 2070-2073 खाता संख्या 553 मिलान क्षैत्रफल व कृषि पासबुक दस्तावेजात प्रतियों व पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा द्वारा मार्फत तहसीलदार सिरोही के प्रस्तुत जवाब का गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया तथा वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की अंतिम बहस सुनकर उस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड प्रार्थी के व प्रार्थी के भाईयों नवीया ,भला ,वागा के पिता सवा पुत्र जेता की मृत्यु होने के पश्चात नामान्तकरण दायर करते समय पटवारी हल्का मेरमाण्डवाडा द्वारा प्रार्थी के पिता का नाम सवा की जगह सबला गलत एवं त्रुटिपूर्ण अंकन किया गया है प्रार्थी के पिता सवा नाम की पुष्टि पत्रावली के संलग्न कृषि पासबुक मे अंकित सवा वल्द जेता रेबारी सा.देह खातेदार से भलीभाति स्पष्ट जाहिर होता है। इस कारण प्रार्थी के पिता का नाम सवा की जगह सबला गलत एवं त्रुटिपूर्ण अंकन होने से उक्त शुद्विकरण

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

जाना आवश्यक है। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे हुई त्रुटि लिपिकिय त्रुटि की परिभाषा मे आने से उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रेकर्ड मे मौजा मेरमाण्डवाडा पटवार हल्का मेरमाण्डवाडा तहसील व जिला सिरोही के नया खाता नंबर 553 खसरा नंबर 150 व 710 मे प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त व हक अधिकार की कृषि आराजी मे दर्ज गलत नाम नवीया ,भला ,वागा पुत्र सबला रेबारी के स्थान पर नवीया ,भला ,वागा पुत्र सवाजी रेबारी सा.देह खातेदार के नाम से जमाबंदी मे दर्ज/शुद्विकरण कर जमाबंदी अपडेट कर पालना रिर्पोट इस न्यायालय को भिजवाना सुनिश्चित करें । आदेश सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 28–10–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम,व न्यायालय की गोल मुहार से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:51:57 IST
Reason: SelfAttested